UPAU010003652021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–02, औरैया

सत्र परीक्षण संख्या 81 सन 2021
राज्य बनाम कमलेश पाठक एवं अन्य
धारा 147,148,149,353,307 भा0दं0सं0 व
धारा 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट
थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया।

दिनांक–09.10.2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र का0सं0 422ख

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी/अभियुक्त शुभम द्विवेदी** की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का0सं0 422ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त है। वर्तमान में उपरोक्त पत्रावली न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु लम्बित है। उपरोक्त पत्रावली में पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में कुल 14 साक्षीगण की सूची प्रस्तुत की गयी थी। उक्त सूची में से अभियोजन द्वारा कुल 6 साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा इसके पश्चात अन्य किसी साक्षी को प्रस्तुत न किए जाने एवं अभियोजन की ओर से साक्ष्य समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त शेष साक्षीगण में से निम्नलिखित गवाह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं–

उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक सुधीर कुमार, हे0कां0 दयाशंकर, कां0 राजेश कुमार व कां0 अतुल कुमार। उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी, औरैया के आदेश दिनांकित 04.05.2020 के अनुसार उपरोक्त अभियोग में उल्लिखित अज्ञात अभियुक्तगण की जानकारी एवं साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से उपनिरीक्षक सुधीर कुमार, मु0आ0 दयाशंकर एवं आरक्षी राजेश कुमार की एक टीम गठित की गयी थी तथा इन तीनों साक्षीगण के बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 के कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उसे उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आरक्षी अतुल मिश्रा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का टंकण किया गया है। ऐसी स्थिति में

Digitally signed by VINAY PRAKASH SINGH
Date: 2025.10.09 14:27:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त अभियोग के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु उपरोक्त 05 साक्षीगण को परीक्षण हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार साक्षीगण उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक सुधीर कुमार, मुख्य आरक्षी दयाशंकर, आरक्षी राजेश कुमार एवं आरक्षी अतुल कुमार को परीक्षण हेतु तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अपराध संख्या 196 सन 2020 थाना कोतवाली औरैया का विचारण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार अपराध संख्या 189 सन 2020 थाना कोतवाली औरैया के साथ किया गया है। ऐसी स्थिति में अपराध संख्या 196 सन 2020 की कायमी व एफ0आई0आर0 पी0डब्लू0–15 अतुल कुमार मिश्रा द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है। तहरीर वादी मुकदमा पी0डब्लू0–11 उपनिरीक्षक नीरज तिवारी द्वारा प्रमाणित कर साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है। घटना के चक्षुदर्शी पी0डब्लू0–12 प्रेमचन्द्र व पी0डब्लू0–8 कां0 सूर्यकान्त को परीक्षित कराया जा चुका है तथा तीनों विवेचक पी0डब्लू0–24 उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0–21 निरीक्षक शशांक राजपूत व पी0डब्लू0–23 निरीक्षक अवधेश को परीक्षित कराया जा चुका है। अज्ञात अभियुक्तगण के सम्बन्ध में नाम बताने वाले उपनिरीक्षक सुधीर पी0डब्लू0–14 के रूप में व पी0डब्लू0–11 उपनिरीक्षक नीरज त्रिपाठी द्वारा व पी0डब्लू0–8 कां0 सूर्यकान्त परीक्षित कराये जा चुके हैं। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त शुभम द्विवेदी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र मुकदमें की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर लम्बित है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 30.09.2025 को अन्य साक्षी पेश न करने और साक्ष्य का अवसर समाप्त किये जाने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त जिन साक्षियों को साक्ष्य हेतु बुलाना चाहता है वे अभियोजन साक्षी हैं। अभियोजन को यह अधिकार है कि वह अपना केस साबित करने के लिए अपनी इच्छा व शक्ति के अनुसार गवाहों को न्यायालय में पेश करे। किसी साक्षी विशेष को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन पक्ष पर कोई

बाध्यता नहीं डाली जा सकती। बचावपक्ष, अभियोजन के साक्षियों को साक्ष्य हेतु बुलाये जाने के लिए अभियोजन को बाध्य नहीं कर सकता। चूंकि अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त कर दी है और पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 हेतु नियत है। बचावपक्ष को जो भी साक्ष्य देना है वह अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करते समय दे सकते हैं। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र का0सं0 422ख स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र का0सं0 422ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 13.10.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0–02,
औरैया।